वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-प्रत्र

संग 50 /न0 अंग विव

दिनांक 23-6-16

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ७० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूनि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रक्खेगी।

निम्नतिक्ति प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री श्री. कितिक तालहीता न

मुहर

दिनांक______20

मार अभियानता (भाजमा) विकास प्राधि उपाध्यक्ष वाराणसी । (वाराणसी विकास प्राधिकरण

प्रो वाराणसी

नोट: 1— यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए हैं। यदि इमारत आज्ञानुकृत नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2— इस अनुमित पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झाँप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमित प्राप्त करना होगा।

3— मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर......दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4~ गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6— यह अनुमित यदि किसी कारणवंश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैच न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंश कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

1:- पद्मगण की स्थल पर 46 पेंड्रे लगानों होगा 2) - पर्न गरा की श्रीलई बाडर हीटर सिंस्ट्री लगामी होगा तथा विकिंग सामग्री म भलाना अपने स्मले पर ही र रनिन होगा। 3:- पर्राण की अपने अपने अपने पर्र दिसांके:- 10/6/16 के अनुसार सिस शान अमे विकार में जामा करनी होता, तथा उसकी स्यमा आमा रामीय की दाया कापी प्राथिकरण में प्रस्तृते करना होजा। 4: - अवनं भू कमपरीधी ही होगा ही होगा अन्यया अपय-कर्ता गण की पुर्ण कि म्बेरोरी है जरे। 5!- समिक्य में स्वामित्व सम्बन्दी कोई विवादे उत्पन्न ही में पर पम्मणों को आविनित्र स्वते निरस्त भावा जारीया जिसकी असरते किस्सेदारी पर्याण की होगी। 6:- निर्माणं उपरान्ते पूर्णता प्रमाणं पक् प्रस्तुते करको होजा। 7:- मिकिय में यदि कोई देयते विमाज हारा विकलती है ली पद्मीण द्वारा देय होगा।

Tarally Koro River 16 ms

energy to the energy of the

2316116 AE

MAHAVIR HEIGHTS

Mahavir Heights-Phase 2A

Sub: Clarification on approval of Sanction Letter and Map in the name of Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra.

The Land title is with Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra. They have formed AOP **Mahavir Heights** for the purpose of Development of the said Land. As per the local laws the maps are approved in the name of Land owners and in this case the map has been approved in the name of Mr. Nitin Malhotra and Mr. Jayant Malhotra being the land owners.